

राजस्थान सरकार  
निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: चि.प्र./विल.एस.एक्ट /2019/ 306

दिनांक: 30/8/19

समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,  
राजस्थान।

विषय:- राजस्थान नैदानिक स्थापन (रजिस्ट्रीकरण एवं विनियमन) नियम 2013 के अन्तर्गत सभी चिकित्सा नैदानिक प्रयोगशाला या रोगी विज्ञान प्रयोगशाला के पंजीकरण की अंतिम तिथि 15.09.2019 करने के क्रम में।

संदर्भ:- निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें के पत्र क्रमांक: चि.प्र./विल.एस.एक्ट/2019/228-37 दिनांक 02.07.19 के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं सदरभित परिपत्र के क्रम में लेख है कि नैदानिक स्थापन (रजिस्ट्रीकरण एवं विनियमन) अधिनियम 2010 राजस्थान राज्य द्वारा अंगीकृत किया हुआ है। उक्त अधिनियम की धारा 54 के तहत नियम बनाकर अधिसूचना जारी कर राजस्थान नैदानिक स्थापन (रजिस्ट्रीकरण एवं विनियमन) नियम 2013 लागू कर दिये गये।

केन्द्र सरकार द्वारा चिकित्सा नैदानिक प्रयोगशाला या रोगी विज्ञान प्रयोगशाला हेतु न्यूनतम मानक को निर्धारित करते हुए नैदानिक स्थापन (केन्द्र सरकार) नियम 2018 की अधिसूचना जारी की गई जिसको राज्य सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया गया है।

अतः समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को निर्देशित किया गया था कि जिले में स्थापित चिकित्सा नैदानिक प्रयोगशाला या रोगी विज्ञान प्रयोगशाला का राजस्थान नैदानिक स्थापन (रजिस्ट्रीकरण एवं विनियमन) नियम 2013 एवं नैदानिक स्थापन (केन्द्र सरकार) नियम 2018 के प्रावधानों के अन्तर्गत अस्थाई एवं स्थाई पंजीकरण 31.08.2019 तक करना सुनिश्चित करें।

ऑनलाईन सॉफ्टवेयर में तकनीकी कारणों से उक्त पंजीकरण की अंतिम तिथि 15.09.2019 तक बढ़ाई जाती है। यदि ऑनलाईन पंजीकरण में तकनीकी कारणों से समस्या आती है तो ऑफलाईन पंजीकरण किया जा सकता है। यदि उक्त अवधि के पश्चात् भी कोई चिकित्सा नैदानिक प्रयोगशाला या रोगी विज्ञान प्रयोगशाला बिना पंजीकरण संचालित है तो उक्त नियमों में निर्धारित दंड (Penalty) के अनुसार कार्यवाही की जावे।

उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदन उपरांत जारी किये जा रहे है।

निदेशक (जन स्वा.)

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें  
राजस्थान जयपुर

दिनांक: 30/8/19

क्रमांक: चि.प्र./विल.एस.एक्ट /2019/ 306

प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान-सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान-सरकार, जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राजस्थान-सरकार, जयपुर।
4. निजी सचिव, मिशन निदेशक (एनएचएम) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. निजी सचिव, निदेशक (जन स्वा.), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जयपुर।
6. समस्त संयुक्त निदेशक जोन, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान।
7. प्रभारी सर्वर रूम, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त पत्र को समस्त सम्बन्धित को मेल व वेबसाईट पर अपलोड कराना सुनिश्चित करावे।
8. रक्षित पत्रावली।

निदेशक (जन स्वा.)

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें  
राजस्थान जयपुर